

या समवेत:- वार शुक्रवार दिनांक २७/०६/२०२५ रोजी सकाळी ११.०० वा. प्राप्त झालेल्या अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या, सर्वसाधारण सभेचे कामकाज कार्यवृत्त जोडले आहे.

अहिल्यानगर जिल्हा परिषद

सामान्य प्रशासन विभाग

क्र.साप्रवि-१/परिषद/सर्वसाधारण सभा/४०५/२०२५

अहिल्यानगर, दिनांक २१/०७/२०२५

प्रत माहितीसाठी सादर,

१. मा.प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहिल्यानगर
२. मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहिल्यानगर
३. मा.प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा,
४. खाते प्रमुख सर्व

२/-आपल्या खात्यासंबंधी विषय व त्याबाबतचे ठरावासंबंधी, तसेच सभेमध्ये झालेल्या चर्चेत उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्दयावर उचित कार्यवाही करून त्याचा अनुपालनचा लेखी अहवाल सामान्य प्रशासन विभागास त्वरीत पाठवावा, म्हणजे पुढील सर्वसाधारण सभेस अनुपालन सादर करता येईल.

  
(राहुल शेळके)

सचिव, सर्वसाधारण सभा तथा

 उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सा.)

 जिल्हा परिषद, अहिल्यानगर

सर्वसाधारण सभा वार शुक्रवार दिनांक २७/०६/२०२५ रोजी सकाळी ११.०० वा. प्राप्त झालेल्या अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या , सर्वसाधारण सभेचे कामकाज इतिवृत्त जोडले आहे.

हजर अधिकारी

| अ.क्र. | नाव                                                                             | अ.क्र. | नाव                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | मा.श्री आनंद भंडारी<br>प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी                      | २      | मा.श्री.संभाजी लांगोरे<br>अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी                                |
| ३      | श्री.राहुल शेळके सचिव सर्वसाधारण सभा<br>तथा,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) | ४      | श्री.शैलेश मोरे<br>मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी                                        |
| ५      | श्री दादाभाऊ गुंजाळ<br>उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,(ग्रा.पं.)                     | ६      | श्री राजेंद्र देसले<br>प्रकल्प संचालक जलजीवन मिशन                                    |
| ७      | श्री महादेव जायभाये<br>जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (मबाक)                          | ८      | श्री. सागर चौधरी<br>कार्यकारी अभियंता (सा.बां.दक्षिण)                                |
| ९      | श्री.बाळासाहेब ननवरे<br>कार्यकारी अभियंता (सा.बां.उत्तर)                        | १०     | श्री.दिलीप सोनकुसळे<br>प्र.उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (मग्राहोहयो)                   |
| ११     | श्री.शिवम डपकर (प्रतिनिधी किरण पागिरे)<br>प्र.जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (ल.पा)    | १२     | श्री. एच.बी.चव्हाण<br>कार्यकारी अभियंता, (ग्रा.पा.पु.)                               |
| १३     | श्री सुधीर शिंदे<br>कृषि विकास अधिकारी                                          | १४     | डॉ.श्री दशरथ दिघे<br>जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय<br>अधिकारी अहिल्यानगर |
| १५     | डॉ.श्री बापूसाहेब नागरगोजे<br>जिल्हा आरोग्य अधिकारी                             | १६     | श्री.भास्कर पाटील<br>शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक )                                       |
| १७     | श्रीम संध्या गायकवाड<br>शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)                                | १८     | श्री देविदास कोकाटे<br>प्र.जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी                                |
| १९     | श्री. निखिल पठारे<br>प्र.उप अभियंता (मु.स.वि.यो.)                               | २०     | श्री बाळासाहेब बुगे<br>शिक्षणाधिकारी (योजना)                                         |

**विषय क्रमांक १:-** दि. ०५/०६/२०२५ रोजीची सर्वसाधारण सभा पुर्ण झालेल्या सभेचे इतिवृत वाचुन कायम करणे .

**ठराव क्र ३०२** दि. ०५/०६/२०२५ रोजी दुपारी १२.०० वा.पुर्ण झालेल्या सभेचे इतिवृत कायम

करणे व संबंधित खात्याने केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे त येऊन त्यावर महत्वाचे कार्यवाहीच्या मुद्यावर संबंधित विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेऊन त्यांची नोंद घेणे त आली.संबंधित सर्व खातेप्रमुखांनी सभेतील कामकाजानुसार तातडीने उचित कार्यवाही करुन अनुपालन सादर करावे.

**विषय क्रमांक २-** जि प सेस अंतर्गत अनुदानाचे पुनर्विनियोजन करणेबाबत.

जि प सा.बा.दक्षिण विभागांतर्गत सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष ४९०३ जि प सेस अंतर्गत रस्ते व मो.याची कामे अंतर्गत १,९०,००,०००/- इतकी तरतूद केलेली आहे तसेच लेखाशिर्ष ४९०४ जि प सेस अंतर्गत जि प/प स कार्यालय जि प अधिकारी/पदाधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती व देखभाल करणे तसेच निवासस्थान बांधणे अंतर्गत २०,००,०००/- इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे सदरची तरतूद अपुरी आहे लेखाशिर्ष ४९०३ अंतर्गत रस्ते व मो.याची कामे अंतर्गत पालखी मार्गाची कामे केल्याने व लेखाशिर्ष ४९०४ अंतर्गत जि प/प स अधिकारी/ कर्मचारी निवासस्थाने दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याने जि प सेस अंतर्गत अनुदानाचे पुनर्विनियोजन करणे गरजेचे आहे

अनुदान कमी जादा करणे बाबतचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

| अ. क्र | जि प संकेतांक | योजनेचे नाव                                                                                                   | सन २०२५-२०२६ चे मूळ अंदाजपत्रक | कमी         | जादा        | पुनर्विनियोजना ने केलेली तरतूद | शेरा |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|------|
| १.     | २.            | ३.                                                                                                            | ४.                             | ५.          | ६.          | ७.                             | ८.   |
| १.     | ४९०३ सा बा द  | रस्त्याची व मो.याची कामे व हायमॅक्स सौरपथदिवे इ सुविधा करणे                                                   | १,९०,००,०००/-                  | ०/-         | ६०,००,०००/- | २,५०,००,०००/-                  | जादा |
| २.     | ४९०४ सा बा द  | जि प /प स कार्यालय जि प अधिकारी/पदाधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती व देखभाल करणे तसेच निवासस्थान बांधणे | २०,००,०००/-                    | ०/-         | १६,९८,०००/- | ३६,९८,०००/-                    | जादा |
| ३.     | ४९०५ सा बा द  | पर्यटनक्षेत्र व लीफ्टेड विकास/छाट बांधणे/समसमंजस सोईसुविधा करणे                                               | ५०,००,०००/-                    | ००/-        | ५,००,०००/-  | ५५,००,०००/-                    | जादा |
| ४.     | ४९०१ सा बा द  | जि प इमारती देखभाल व दुरुस्ती (अ)ज्वालासकीय इमारत देखभाल व दुरुस्ती (ब)अग्निवार्म बाबी (सी) डेयक व खचकता      | १,५०,००,०००/-                  | १०,००,०००/- | ००/-        | १,४०,००,०००/-                  | कमी  |

|     |                 |                                                                                                                          |             |             |      |             |     |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|-------------|-----|
| 5.  | 4906<br>सा बा द | जि प मालकीचे जागेवर तारेचे<br>कुंपण संरक्षक भित/हस्तांतरण<br>करणेकामी लागणारी नोंदणी<br>फी/इतर खर्च                      | 25,00,000/- | 15,00,000/- | 00/- | 10,00,000/- | कमी |
| 6.  | 4969<br>सा बा द | दहन व दफनभूमी<br>बांधकामे/दुरुस्ती पा पु सह 50<br>टक्के जि प हिस्सा (3 लाखपर्यंत<br>ग्रा प साठी अनुदान)                  | 15,00,000/- | 14,99,000/- | 00/- | 1000/-      | कमी |
| 7.  | सा बा उ         | पर्यटनक्षेत्र व तीर्थक्षेत्र विकास<br>/घाट<br>बांधणे/सभामंडप/बहुउद्देशी<br>य सभागृह बांधणे, सोईसुविधा<br>देखभाल दुरुस्ती | 5,00,000/-  | 4,99,000/-  | 0/-  | 1000/-      | कमी |
| 8.  | सा.बा.उ         | जि प जागेवरील अतिक्रमण<br>काढणेसाठी तरतूद                                                                                | 3,00,000/-  | 2,00,000/-  | 0/-  | 1,00,000/-  | कमी |
| 9.  | 1901<br>साप्रवि | मा. अध्यक्ष, जि.प. यांना<br>मानधन रु.20000/- प्रतीमाह                                                                    | 2,40,000/-  | 1,60,000/-  | 0/-  | 80,000/-    | कमी |
| 10. | 1902<br>साप्रवि | मा. उपाध्यक्ष, जि.प. यांना<br>मानधन रु.15000/-<br>प्रतीमाहमा. सभापती, जि.प.<br>यांना मानधन रु.12000/-<br>प्रतीमाह        | 5,70,000/-  | 3,18,000/-  | 0/-  | 2,52,000/-  | कमी |
| 11. | साप्रवि<br>1903 | मा. सभापती, पं.स. यांना<br>मानधन रु.10000/- प्रतीमाह                                                                     | 16,80,000/- | 11,20,000/- | 0/-  | 5,60,000/-  | कमी |
| 12. | साप्रवि<br>1904 | मा. उपसभापती, पं.स. यांना<br>मानधन रु.8000/- प्रतीमाह                                                                    | 13,44,000/- | 4,48,000/-  | 0/-  | 8,96,000/-  | कमी |
| 13. | 1912<br>साप्रवि | मा. जि.प. सदस्य यांना प्रवास<br>भत्ते (जि.प. सभा)                                                                        | 8,00,000/-  | 4,00,000/-  | 0/-  | 4,00,000/-  | कमी |
| 14. | साप्रवि<br>1913 | मा. पं.स. सदस्य यांना प्रवास<br>भत्ते (पं.स. सभा)                                                                        | 15,00,000/- | 10,00,000/- | 0/-  | 5,00,000/-  | कमी |
| 15. | साप्रवि         | मा. जि.प. सभासद यांना<br>मतदार संघातील फिरतीसाठी                                                                         | 20,00,000/- | 12,00,000/- | 0/-  | 8,00,000/-  | कमी |

|     |                 |                                                                                                  |               |               |               |               |      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|     | 1914            | प्रवासभत्ता                                                                                      |               |               |               |               |      |
| 16. | साप्रवि<br>1915 | सादील खर्चासाठी (मा. अध्यक्ष व विषय समिती सभापती)                                                | 25,00,000/-   | 12,00,000/-   | 0/-           | 13,00,000/-   | कमी  |
| 17  | साप्रवि<br>1916 | मा. सभापती, पं. स. सादील                                                                         | 15,00,000/-   | 7,50,000/-    | 0/-           | 7,50,000/-    | कमी  |
| 18  | साप्रवि<br>2914 | "QR based Attendance System"                                                                     | 6,00,000/-    | 5,99,000/-    | 0/-           | 1000/-        | कमी  |
| 19. | साप्रवि<br>2920 | ई प्रशासन लॅन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग प्रणाली आधार बेस बायोमॅट्रीक उपस्थिती प्रणाली देखभाल दुरुस्ती | 15,00,000/-   | 0/-           | 36,95,000/-   | 51,95,000/-   | जादा |
|     |                 | एकूण                                                                                             | 6,00,34,000/- | 1,18,93,000/- | 1,18,93,000/- | 6,00,34,000/- |      |

नियमाची तरतूद :- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चा नियम क्र.138 अन्वये पुनर्विनियोजनास मा.जि.प. सर्वसाधारण सभा सक्षम आहे.

विभागाचे मत -सदर तरतूद पुनर्विनियोजनाने वाढील तरतूद करणे बाबतचा विषय येत्या होणा-या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यता घेऊन तदनंतर होणा-या जि.प. सर्वसाधारण सभेत मंजुरीस्तव सादर करणे कामी मान्यतेस्तव व अवलोकनार्थ सादर.

**ठराव क्र ३०३-** जि प सा.बा.दक्षिण विभागांतर्गत सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष 4903 जि प सेस

अंतर्गत रस्ते व मो.यांची कामे अंतर्गत 1,90,00,000/- इतकी तरतूद केलेली आहे तसेच लेखाशिर्ष 4904 जि प सेस अंतर्गत जि प/प स कार्यालय जि प अधिकारी/पदाधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती व देखभाल करणे तसेच निवासस्थान बांधणे अंतर्गत 20,00,000/-इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे सदरची तरतूद अपुरी आहे लेखाशिर्ष 4903 अंतर्गत रस्ते व मो.यांची कामे अंतर्गत पालखी मार्गाची कामे केल्याने व लेखाशिर्ष 4904 अंतर्गत जि प/प स अधिकारी/ कर्मचारी निवासस्थाने दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याने जि प सेस अंतर्गत अनुदानाचे पुनर्विनियोजन करणे गरजेचे आहे

अनुदान कमी-जादा करणे बाबतचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

| अ. क्र | जि प संकेतांक | योजनेचे नाव                                                     | सन 2025-2026 चे मूळ अंदाजपत्रक | कमी | जादा        | पुनर्विनियोजनाने केलेली तरतूद | शेरा |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-------------|-------------------------------|------|
| 1.     | 2.            | 3.                                                              | 4.                             | 5.  | 6.          | 7.                            | 8.   |
| 1.     | 4903 सा बा द  | रस्त्यांची व मो.यांची कामे व हायवेमॅक्स सौरपथदिवे इ सुविधा करणे | 1,90,00,000/-                  | 0/- | 60,00,000/- | 2,50,00,000/-                 | जादा |

|     |                 |                                                                                                               |               |             |             |               |      |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------|
| 2.  | 4904<br>सा बा द | जि प /प स कार्यालय जि प अधिकारी/पदाधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती व देखभाल करणे तसेच निवासस्थान बांधणे | 20,00,000/-   | 0/-         | 16,98,000/- | 36,98,000/-   | जादा |
| 3.  | 4905<br>सा बा द | पर्यटनक्षेत्र व तीर्थक्षेत्र विकास/घाट बांधणे/सभामंडप सोईसुविधा करणे                                          | 50,00,000/-   | 00/-        | 5,00,000/-  | 55,00,000/-   | जादा |
| 4.  | 4901<br>सा बा द | जि प इमारती देखभाल व दुरुस्ती (अ)पंचायतकीय इमारत देखभाल व दुरुस्ती (ब)अनियमित बांधी (बीज देखक व स्वच्छता)     | 1,50,00,000/- | 10,00,000/- | 00/-        | 1,40,00,000/- | कमी  |
| 5.  | 4906<br>सा बा द | जि प मालकीचे जागेवर तारेचे कुंपण संरक्षक भित्त/हस्तांतरण करणेकामी लागणारी नोंदणी फी/इतर खर्च                  | 25,00,000/-   | 15,00,000/- | 00/-        | 10,00,000/-   | कमी  |
| 6.  | 4969<br>सा बा द | रहन व दफनभूमी बांधकामे/दुरुस्ती पा पु सह 50 टक्के जि प हिस्सा (3 लाखपर्यंत ग्रा प साठी अनुदान)                | 15,00,000/-   | 14,99,000/- | 00/-        | 1000/-        | कमी  |
| 7.  | सा बा उ         | पर्यटनक्षेत्र व तीर्थक्षेत्र विकास /घाट बांधणे/सभामंडप/बहुउद्देशीय सभागृह बांधणे, सोईसुविधा देखभाल दुरुस्ती   | 5,00,000/-    | 4,99,000/-  | 0/-         | 1000/-        | कमी  |
| 8.  | सा.बा.उ         | जि प जागेवरील अतिक्रमण काढणेसाठी तरतूद                                                                        | 3,00,000/-    | 2,00,000/-  | 0/-         | 1,00,000/-    | कमी  |
| 9.  | 1901<br>साप्रवि | मा. अध्यक्ष, जि.प. यांना मानधन रु.20000/- प्रतीमाह                                                            | 2,40,000/-    | 1,60,000/-  | 0/-         | 80,000/-      | कमी  |
| 10. | 1902<br>साप्रवि | मा. उपाध्यक्ष, जि.प. यांना मानधन रु.15000/- प्रतीमाहमा. सभापती, जि.प. यांना मानधन रु.12000/- प्रतीमाह         | 5,70,000/-    | 3,18,000/-  | 0/-         | 2,52,000/-    | कमी  |
| 11. | साप्रवि         | मा. सभापती, पं.स. यांना                                                                                       | 16,80,000/-   | 11,20,000/- | 0/-         | 5,60,000/-    | कमी  |

|     |                 |                                                                                                           |               |               |               |               |      |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|     | 1903            | मानधन रु.10000/- प्रतीमाह                                                                                 |               |               |               |               |      |
| 12. | साप्रवि<br>1904 | मा. उपसभापती, पं.स. यांना<br>मानधन रु.8000/- प्रतीमाह                                                     | 13,44,000/-   | 4,48,000/-    | 0/-           | 8,96,000/-    | कमी  |
| 13. | 1912<br>साप्रवि | मा. जि.प. सदस्य यांना प्रवास<br>भत्ते (जि.प. सभा)                                                         | 8,00,000/-    | 4,00,000/-    | 0/-           | 4,00,000/-    | कमी  |
| 14. | साप्रवि<br>1913 | मा. पं.स. सदस्य यांना प्रवास<br>भत्ते (पं.स. सभा)                                                         | 15,00,000/-   | 10,00,000/-   | 0/-           | 5,00,000/-    | कमी  |
| 15. | साप्रवि<br>1914 | मा. जि.प. सभासद यांना<br>मतदार संघातील फिरतीसाठी<br>प्रवासभत्ता                                           | 20,00,000/-   | 12,00,000/-   | 0/-           | 8,00,000/-    | कमी  |
| 16. | साप्रवि<br>1915 | सादील खर्चासाठी (मा. अध्यक्ष<br>व विषय समिती सभापती)                                                      | 25,00,000/-   | 12,00,000/-   | 0/-           | 13,00,000/-   | कमी  |
| 17. | साप्रवि<br>1916 | मा. सभापती, पं. स. सादील                                                                                  | 15,00,000/-   | 7,50,000/-    | 0/-           | 7,50,000/-    | कमी  |
| 18. | साप्रवि<br>2914 | "QR based Attendance<br>System"                                                                           | 6,00,000/-    | 5,99,000/-    | 0/-           | 1000/-        | कमी  |
| 19. | साप्रवि<br>2920 | ई प्रशासन लॅन व्हिडीओ<br>कॉन्फरन्सिंग प्रणाली आधार<br>बेस बायोमॅट्रीक उपस्थिती<br>प्रणाली देखभाल दुरुस्ती | 15,00,000/-   | 0/-           | 36,95,000/-   | 51,95,000/-   | जादा |
|     |                 | एकूण                                                                                                      | 6,00,34,000/- | 1,18,93,000/- | 1,18,93,000/- | 6,00,34,000/- |      |

वरिल विषयास या ठरावाद्वारे सर्वसाधारण सभेची सर्वानुमते मान्यता देण्यात येत आहे.



सचिव,

सर्वसाधारण सभा तथा  
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सा.)  
जिल्हा परिषद, अहिल्यानगर



प्रशासक तथा  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिल्हा परिषद अहिल्यानगर